BUDAUN POLICE

प्रेस नोटः-दिनॉक-15-06-2024 **थाना उघैती**

एस0ओ0जी0 व थाना उघैती पुलिस की संयुक्त कार्यवाही से बदायूँ पुलिस को मिली महत्वपूर्ण सफलता।

अंतरजनपदीय जहर खुरानी कर ई-रिक्शा चोरी करने वाले गैंग का सरगना पुलिस मुठभेड़ में घायल, सरगना सहित गैंग के कुल 03 सदस्य गिरफ्तार, लूट / चोरी हुए 06 ई-रिक्शा बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आलोक प्रियदर्शी जनपद बदायूं के निर्देशानुसार अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री राम मोहन सिंह के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी बिल्सी श्री सुशील कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में एसओजी टीम व थाना उघैती पुलिस द्वारा 03 शातिर जहरखुरान/चोर/लुटेरों (एक अभियुक्त पुलिस मुठभेढ़ में घायल) को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

विदित है कि विगत कुछ दिनों में जनपद बदायूँ के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में ई -रिक्शा को बुक कराकर रास्ते मे चालक को कोल्ड ड्रिंक इत्यादि में नशीला पदार्थ देकर उन्हें बेहोश करके के ई रिक्शा, मोबाइल व पैसे चोरी/लूट कर ले जाने की कई घटनाएं हुई थी, जिसमे कुछ चालक काफी समय तक बेहोशी की अवस्था में रहे। इन घटनाओं की गंभीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा घटनाओं के अनावरण के लिए जनपद SOG की टीम के साथ-साथ थानों की कई पुलिस टीमो का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे, इन टीमो द्वारा निरंतर कठिन प्रयास करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस विश्लेषण और धरातलीय सूचनाएँ इकट्ठा की जा रही थी, जिसके क्रम में दिनांक- 14-06-2024 को एसओजी व थाना उघैती की सँयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त सोपाली यादव तथा अरशद को गिरफ्तार किया गया जिन्हे थाने ले जाकर विस्तार से गहन पूछताछ करने पर बताया गया कि हमारे गैंग का सरगना सुल्तान है जो स्वरुपपुर थाना उघैती की तरफ से रात्रि में हमसे मिलने आयेगा उपरोक्त अभियुक्तगण की बात पर विश्वास करते हुए बताये गये स्थान पर पहुच कर आड़ में छिपकर आने वाले व्यक्ति सुल्तान का इंतजार करने लगे जैसे ही रात्रि लगभग 12:00 बजे एक व्यक्ति ई-रिक्शा से आता हुआ दिखाई दिया जिसको रोकने का प्रयास किया, जिससे वह पुलिस टीम को देखकर ई-रिक्शा लेकर वापस मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा तो पुलिस पार्टी ने पकड़ने का प्रयास किया तो अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया जिसमे पुलिस टीम के आरक्षी सुशील गोली लगने से घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जबाबी फायरिंग मे उक्त अभियुक्त के पैर मे गोली लगने से घायल होकर गिर गया जिससे पुलिस पार्टी द्ववारा तत्काल मौके पर गिरफ्तार किया गया । घटना मे घायल पुलिसकर्मी व अभियुक्त सुल्तान को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 देशी तमंचा 315 बोर, 4 खोखा कारतूस व 3 जिन्दा कारतूस तथा 1 ई-रिक्शा बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरण-

अभि0गण ने पूछने पर बताया कि इनका एक संगठित गैंग है, वैसे तो हम लोग दिखाने के लिए ई- रिक्शा और मज़दूरी करते है लेकिन मुख्य रूप से हम नगर के भीड़भाड़ इलाको से ई रिक्शा शहर से दूर ज्यादा पैसे का लालच देकर बुक कराते है,फिर उन्हें भरोसे में लेकर उनसे दोस्ती बढ़ाकर झांसे में लेकर रास्ते मे उनका ध्यान भटकाकर कोल्ड्रिंक्स/खाने पीने के सामान/बीयर/शराब ATVAN 1 MG नामक नशीली दवा मिला कर दे देते है। यह दवा रंगहीन व गन्धहीन होता है जिससे खाने वाले को पता नही चलता कि नशे की गोली खिला दी है। जिसके असर से कुछ ही समय मे दवा के ओवरडोज से चालक बेहोश होने लगता है,फिर उसे किसी निर्जन स्थान पर

लिटाकर उसका ई रिक्शा ,मोबाइल व अन्य सामान लेकर फरार हो जाते है, हमारा एक साथी एक दूसरी ई रिक्शा लेकर पीछे पीछे लगा रहता है।

उल्लेखनीय है कि यह नशीली दवा प्रतिबंधित है जो एमबीबीएस डिग्री धारक डॉक्टर के पर्चे के अलावा किसी भी प्रकार से नहीं मिलती है। सामान्यतः इस दवा का प्रयोग नींद ना आने की समस्या में किया जाता है। इसकी एक गोली सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत असर कारक होती है।कई बार इन अपराधियों द्वारा दो-तीन गोलियों का प्रयोग किया जाता है। जिससे उनके शिकार व्यक्ति की हालत बिगड़ने लगती है और वह कहीं कई दिन तक होश में नहीं आता है।इस दवाई की ओवरडोज होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है।

गिरफ्तार शुदा अभि0गण के नाम पता व अपराधिक इतिहास–

1- सोपाली यादव पुत्र नेमपाल निवासी ग्राम धोवई थाना सहसवान जनपद बदायूं

1. मु.अ.सं. 51/09 धारा 379/411IPC थाना सहसवान, बदायूं।
2. मु.अ.सं. 469/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सहसवान, बदायूं।
3. मु0अ0सं0 157/2024 धारा 328,379,414 भादवि व 4/25 आर्मस एक्ट उघैती बदायूं ।
4. मु0अ0सं0 151 /2024 धारा 379 भादवि थाना गुन्नौर संभल ।
5. मु0अ0सं0 265/024 धारा 379 भादवि थाना उझानी।
6. मु0अ0सं0 120/2024 धारा 328/379 भादवि थाना मुजरिया

2- सुलतान पुत्र मो. शफी निवासी भवानीपुर खल्ली थाना सहसवान जनपद बदायूं

1. मु.अ.सं. 161/21 धारा 323/324/452/504/ 506 IPC थाना सहसवान, बदायूं।
2. मु.अ.सं. 198/21 धारा 307 IPC थाना सहसवान, बदायूं।
3. मु.अ.सं. 199/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सहसवान, बदायूं।
4. मु.अ.सं. 200/21 धारा 3/5/8 C.S. Act व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि. थाना सहसवान, बदायूं।
5. मु.अ.सं. 494/22 धारा 323/498IPC थाना सहसवान, बदायूं।
6. मु.अ.सं. 495/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सहसवान, बदायूं।
7. मु0अ0सं0 157/2024 धारा 328,379,414 भादवि व 4/25 आर्मस एक्ट उघैती बदायूं ।
8. मु0अ0सं0 151 /2024 धारा 379 भादवि थाना गुन्नौर संभल ।
9. मु0अ0सं0 265/024 धारा 379 भादवि थाना उझानी।
10. मु0अ0सं0 120/2024 धारा 328/379 भादवि थाना मुजरिया
11. मु0अ0सं0 167 /2024 धारा 307भादवि 3/25 ,27 आर्मस एक्ट थाना उघैती बदायूं ।

3- अरशद पुत्र अकील अहमद निवासी मो. शहबाजपुर गौटिया थाना सहसवान, बदायूं

1. मु.अ.सं. 1626/10 धारा 379 IPC थाना सहसवान, बदायूं।
2. मु.अ.सं. 501/15 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना सहसवान, बदायूं।
3. मु.अ.सं. 877/15 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना सहसवान, बदायूं।
4. मु.अ.सं. 03/16 धारा 323/498AIPC व 3/4 दहेज़ अधिनियम थाना सहसवान, बदायूं।
5. मु.अ.सं. 172/19 धारा 504/506 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सहसवान, बदायूं।
6. मु.अ.सं. 192/19 धारा 323/324/452/504/ 506 IPC थाना सहसवान, बदायूं।
7. मु0अ0सं0 157/2024 धारा 328,379,414 भादवि व 4/25 आर्मस एक्ट उघैती बदायूं ।
8. मु0अ0सं0 151 /2024 धारा 379 भादवि थाना गुन्नौर संभल ।
9. मु0अ0सं0 265/024 धारा 379 भादवि थाना उझानी।
10. मु0अ0सं0 120/2024 धारा 328/379 भादवि थाना मुजरिया

गिरफ्तारी का स्थान व समय

02 अभियुक्त सौपाली व अरशद को सरैरा चोराहा थाना उघैती से समय 17:15 बजे गिरफ्तार किया गया ।
1 अभियुक्त सुल्तान ग्राम स्वरुपपुर से समय 12:05 बजे गिरफ्तार किया गया ।

<u>बरामदगी का विवरण</u> –
कुल 06 ई-रिक्शा बरामद तथा 2 तमंचे 315 बोर 4 जिन्दा कारतूस 03 खोखे, एक चाकू व एक पत्ता नशे की गोली (ATVAN 1 MG)

1- 1 ई-रिक्शा थाना सिविल लाइन से सम्बन्धित ई रिक्शा ,
2- 2 ई-रिक्शा उझानी थाने से सम्बन्धित
3- 1 ई-रिक्शा उघैती जनपद बदायूं ।
4- 1 ई-रिक्शा थाना गुन्नौर जनपद सम्भल घटना में प्रयुक्त बरामद ।
5- 1 ई-रिक्शा थाना दादो जनपद अलीगढ़ घटना में प्रयुक्त बरामद ।

नोट- इस गैंग के द्वारा अन्य पड़ोसी जनपदों में अनेक घटनाएं की गई है जिन्हे ज्ञात करने का प्रयास किया जा रहा है ।

बरामदगी में सम्मिलित पुलिस टीम-
एसओजी/सर्विलांस टीम-

निरीक्षक श्री नीरज कुमार प्रभारी सर्विलांस/एसओजी टीम, उ0नि0 श्री धर्वेन्द्र सिंह प्रभारी एसओजी, हे0का0 संजय कुमार सिंह, हे0का0 सचिन कुमार झा, हे0का0 विपिन कुमार, हे0का0 शराफत हुसैन, हे0का0 मुकेश कुमार, हे0का0 सचिन कुमार, का0 अरविन्द कसाना, का0 आजाद, का0 मनीष कुमार, का0कुशकांत, भूपेन्द्र सिह।

थाना उघैती पुलिस

1- थानाध्यक्ष श्री राजेश कौशिक
2- उ0नि0 नाजिर अली व वसीम खॉ,जव्वार अली ,
3- हे0का0मो0सादिक अली,
4- आरक्षी सुशील कुमार ,प्रदीप कुमार , परशुराम , विपिन थाना उघैती

गिरफ्तारी/बरामदगी में सम्मिलित पुलिस टीम-

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण/बरामदगी में सम्मिलित टीम को उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नगद पुरुस्कार से पुरुस्कृत किया गया ।

सोशल मीडिया सेल,
बदायूँ ।